



क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
Employees' State Insurance Corporation
(Ministry of Labour & Employment,
Govt. of India)



सत्यमेव जयते

क्षेत्रीय कार्यालय / Regional Office
पंचदीप भवन", भवानी सिंह रोड़, जयपुर -302001
Panchdeep Bhawan, Bhawani Singh Road, Jaipur-302001
Phone- 0141-2989581 E-mail : rd-rajasthan@esic.nic.in
Website : www.esic.nic.in / www.esic.in

File No: U/77/2023-Med/b1

Date: 02/04/2024

CORRIGENDUM

राजस्थान क्षेत्र में SST Tie-up के लिए जारी किए गये कार्यालय आदेश U/77/2023-Med दिनांक 01-04-2024 में Page No.5 के Sr No.20 पर लिखित Kailash Superspeciality Hospital , Behror का नाम PARK HOSPITAL(A Unit of Kailash Superspeciality Hospital Pvt. Ltd.) एवं Page No.8 के Sr No.40 पर लिखित Sharma East India Hospitals & Medical Research Institute, Jaipur का नाम JAIPUR HOSPITAL (A Unit of Sharma East India Hospitals & Medical Research Ltd.) तथा साथ ही Page No.8 के Sr No.41 पर लिखित Indus (Sharma Memorial Hospital and Research Centre),Jaipur का नाम Indus Jaipur Hospital है। अतः भविष्य में इन्हे इसी नाम से पढ़ा जावे।

Signed by

Devendra Pal Singh

Date: 02-04-2024 15:45:27

(देवेंद्र पाल सिंह)
उप निदेशक (मेडिकल)
कृते क्षेत्रीय निदेशक

सेवामें,
संबंधित अस्पताल।

प्रतिलिपि

- 1- चिकित्सा आयुक्त (मेड-III), मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, सी. आई.जी.मार्ग, नई दिल्ली।
- 2- उप चिकित्सा आयुक्त (एसएसटी), मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, सी. आई.जी.मार्ग, नई दिल्ली।
- 3- ज़ोनल चिकित्सा आयुक्त (पश्चिम क्षेत्र), क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम,अहमदाबाद (गुजरात)।
- 4- शासन सचिव (श्रम एवं नियोजन)शासन सचिवालय, राज. सरकार, जयपुर।
- 5- निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, कराबी योजना, अजमेर रोड, जयपुर को सूचनार्थ।
- 6- चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल, जयपुर/भिवाड़ी/अलवर/कोटा/उदयपुर/बीकानेर।
- 7- चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सालय,भीलवाड़ा/जोधपुर/पाली।
- 8- संयुक्त निदेशक (प्रभारी), उप क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, उदयपुर/जोधपुर।
- 9- वित्त एवं लेखा/रोकड़ शाखा,क्षेत्रीय कार्यालय, कराबी निगम, जयपुर।
- 10- सहायक निदेशक (पी.आर) क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जयपुर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त सूचना क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करे।
- 11- मेडिकल विजिलेंस ऑफिसर/राज्य चिकित्सा अधिकारी, क्षे.का.कराबी निगम जयपुर।
- 12- सभी शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, कराबी निगम, राजस्थान क्षेत्र को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त कार्यालय आदेश की एक प्रति सूचना पत्र पर लगवाने का श्रम करे।
- 13- सभी बीमा चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान क्षेत्र।
- 14- सूचना पट्ट / गार्ड फ़ाइल।